MRA an USUA The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3 — उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 339] No. 339] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त ३, २००५ /श्रावण १२, १९२७ NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 3, २००५/SRAVANA 12, 1927

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2005

सा.का.नि. 518(अ).—दामोदर घाटी निगम अधिर्नियम, 1948 (1948 का 14) की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतदद्वारा विद्युत मंत्रालय के अधीन दामोदर घाटी निगम में वित्तीय सलाहकार के पद की भर्ती प्रणाली को नियंत्रित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाती है-

लघु शीर्ष एवं विस्तार

- (1) ये नियम विद्युत मंत्रालय, दामोदर घाटी निगम भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे ।
- (2) ये नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान

पदों की संख्या, उनके वर्गीकरण और इससे संबद्ध वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न सूची के कॉलम(2) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे ।

भर्ती प्रक्रिया, आयु, शैक्षिक योग्यताएं आदि

उक्त पद के लिए भर्ती प्रक्रिया, आयु सीमा, शैक्षिक योग्यताएं तथा इससे संबंधित अन्य मामले उक्त सूची के कॉलम (5) से (14) में विनिर्दिष्ट किए जायेंगे !

अयोग्यताः कोई व्यक्ति-

(क) जिसने पहली पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, अथवा

(ख) जिसने पहले पत्नी के रहते हुए किसी अन्य के साथ दूसरा विवाह किया है या करने का अनुबंध किया है।

केक्त पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।

परंतु यदि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति या विवाह की दूसरी पार्टी पर लागू होने वाली व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत अनुमित योग्य है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो इस नियम से व्यक्ति को छूट प्रदान करेगी।

- 5. घुट्टी वेतन की पात्रता, अवकाश यात्रा छूट भत्ता(एलटीसी), स्वास्थ्य सुविधाओं सहित सेवा की वे शर्तें जिनके लिए इन नियमों में प्रावधान नहीं किया गया है वही होंगे जो केंद्र सरकार के ग्रुप "ए" अधिकारी के लिए स्वीकार्य हों।
- 6. छूट का अधिकार- जहां केंद्र सरकार का यह विचार है कि ऐसा किया जाना आवश्यक अथवा अनिवार्य है तो वह किसी श्रेणी या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी प्रावधान को आदेश द्वार परिवर्तित कर सकती है जिसके कारणों को लिपिबद्ध किया जाएगा ।
- 2. व्यावृतियां-ये नियम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों को इस सबंध में समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार प्रदान किए जाने वाले आरक्षणों, आयु सीमा में छूट तथा अन्य छूटों को प्रभावित नहीं करेंगे।

अनुसूची

पद का नाम	संख्या	की डीवीसी में वर्गीकरण	वेतनमान	चयनित अथवा गैर-चयनित पद	केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) के नियम 30 के अंतर्गत स्वीकार्य सेवा के अतिरिक्त वर्षों का लाभ
(1) वित्तीय	(2) कार्यभार	(3) गर ग्रुप " ए "	(4)	(5)	(6)
सलाहकार	निर्भर परितर्ट के अधी 1(2005)	न न	18,400-500- 22,400 रूपये	चयनित	लागू नहीं
सीधी भर्ती हे आयु सीमा	अपेक्षित . शैक्षिक ए अन्य योग्यता	तु क्या सीधी भर्ती निर्धारित आयु वं योग्यता प्रोत्स मामले में लागू ह	एव शक्षिक ।हनकर्त्ता के	परिवीक्षा की अ हो ।	विध यदि कोई
(7)	(8)	(9)		(10)	
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू	नहीं	लागू न	नहीं

द्वारा या	प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा भँतीं के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण किया जाना	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन क्या है ।	जिनमें करते संघ सेवा	1
(11) प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रितिनयुक्तिः- केंद्र एवं राज्य सरकार के वे अधिकारी जो भारत सरकार में निदेशक, रैंक से कम के न हों। वांछनीयः प्रशासनिक, वित्तीय एवं बजटीय मामलों का अनुभव। प्रितिनयुक्ति की अविधिः वित्तीय सलाहकार के कार्य की अविधि दामोदर घाटी निगम में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष तक की होगी।	(1) सचिव- विद्युत मंत्रालय- अध्यक्ष (2) अध्यक्ष, दामोदर घाटी निगम- सदस्य (3) अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण- सदस्य (4) लोक उद्यम विभाग के प्रतिनिधि(जो अपर सचिव से कम रैंक के न हों)- सदस्य		लोक आयोग परामर्श नहीं

[फा. सं. 15/3/2001-डी.वी.सी.] हरीश चन्द्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2005

- G.S.R. 518 E).— In exercise of the powers conferred by Section-7, sub section-(a) of the Damodar Valley Corporation Act 1948 XIV of 1948 the Central Government hereby makes the following rules regulating the appointment of Financial Advisor (FA), Damodar Valley Corporation (DVC), a Corporation under the Ministry of Power, namely:-
 - 1. Short title and commencement-(1) These rules may be called the Damodar Valley Corporation (Appointment of Financial Adviser) Rules 2005.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. Number of post, classification and scale of pay- The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
 - 3. Method of recruitment, age, qualification etc. -The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule aforesaid.
- 4. Disqualification No person shall be eligible for appointment to the said post:
 - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 - Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
- 5. The conditions of service for which the provisions have not been made in these rules, including entitlement of leave salary, leave travel concession traveling allowances, medical facilities, shall be such as are admissible to a Group 'A' officer of the corresponding status in the Central Government.
- 6. Power to relax -Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Savings Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post N	Jo. of the post	Classification	Scale of pa		election lection Post	Whether benefit of added years of service Admissible Under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
Financial Adviser	1 (one)	Group A	Rs. 18,4	00 - 22,400	Selection	Not applicable
Age limit for direct recr	qua	ucational and ot alification required of the contraction of the contra	red qua dire	ether age and e lification presc ect recruits will case of promo	ribed for apply in	eriod of probation, if any
(7)		(8)	(9)		(10)	
Not applicable	Not applie	cable No	t applicable	No	t applicable	
Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	pron trans Pron	ise of recruitment notion or deputa ifer, ,grades from notion or deputa ifer to be made	ation or Co n which co	Departmental F mmittee exists mposition	, what is	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)		(12)		(13)		(14)
By deputation	Centra hold Ranl Gove Desi adm finan mat Peric of off be fiv	tation-The Office I or State Governing a post not be formed to Indianable-Experience inistrative acial and budget ters.	nment elow the the the ar e in ary -The term Adviser sha	(ii) Chairm II (iii) Chair ich (iv) Repres (not be	y, Ministry o an,Damodar man, Central entatives of I elow the rank	Valley Corp Member

[F. No. 15/3/2001-DVC] HARISH CHANDRA, Jt. Secy.